प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-16.05.2026

थाना पैकोलिया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत राहगीरों से रुपये-पैसे छिनने वाले संबंधित 02 अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार-

थाना पैकोलिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक-15.05.2026 को थाना क्षेत्रान्तर्गत एन0पी0एस0 स्कूल के पास ग्राम पूरा पैकोलिया में घर जाते समय 02 व्यक्तियों यथा क्रमशः एक व्यक्ति से उसके पर्स जिसमें रखे रुपये करीब 1,200/-, ए०टी०एम कार्ड व पहचान पत्र आदि व दूसरे व्यक्ति से रुपये 500/- को 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीन कर भाग जाने के संबंध में पंजीकृत 68/2026 धारा-309(6) BNS की घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**नीरज पाण्डेय पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय व **2-** सुशील पाण्डेय उर्फ माइकल पुत्र प्रेमसागर पाण्डेय को दिनांक-16.05.2026 को समय करीब 02:10 बजे बैरियहवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ़्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-68/2026 में धारा-317(2) BNS की वृद्धि कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- नीरज पाण्डेय पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय निवासी पूरा पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

2- सुशील पाण्डेय उर्फ माइकल पुत्र प्रेमसागर पाण्डेय निवासी पूरा पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद ए०टी०एम० कार्ड, एक अदद निर्वाचन कार्ड, एक अदद विकलांग सर्टिफिकेट व आधार कार्ड, एक अदद पैन कार्ड |

2- एक अदद पर्स व कुल रुपये 1,500/- नगद |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने दिनांक-15.05.2026 को एन0पी0एस0 स्कूल के पास दो व्यक्तियों से रुपये-पैसे छीने हैं | **अभियुक्त 1-**नीरज पाण्डेय द्वारा उसके पास से बरामद पर्स, रुपयों व अन्य पहचान-पत्रों के बारे में बताया गया कि शाम समय करीब 04-05:00 बजे के मध्य एक व्यक्ति का पर्स छीना था जिसमें रुपये करीब 1,200/- नगद था जिसमें से रुपये 2,00/- रुपये खाने-पीने में खर्च कर दिया है, शेष रुपये 1,000/- पर्स में रखा हुआ है | **अभियुक्त 2-**सुशील पाण्डेय द्वारा उसके पास से बरामद रुपये 500/- के बारे में बताया गया कि हम लोग दिन में एक अन्य व्यक्ति से पहले ही रुपये 500/- छीने थे जिसे **1-**नीरज पाण्डये ने मुझे देते हुए कहा कि तुम छोटे हो इसको रख लो | हम दोनों यहां पर हरैया जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गये |

गिरफ्तार अभियुक्त 1-नीरज पाण्डेय का आपराधिक इतिहास-

1- मु०अ०सं०-68/2026 धारा-309(6), 317(2) BNS थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

2- मु०अ०सं०-270/2023 धारा- 20/8 NDPS Act थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

3- मु०अ०सं०-112/2019 धारा-147, 148, 149, 307, 323, 34, 504, 506 IPC व धारा- 7 CLA Act थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

4- मु०अ०सं०-115/2019 धारा-25/3 Arms Act थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

5- मु०अ०सं०-117/2019 धारा-419, 420, 468, 469, 471 IPC थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

6- मु०अ०सं०-171/2019 धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

7- मु०अ०सं०-70/2021 धारा-406, 420 IPC व धारा-22/8 NDPS Act थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।

8- मु०अ०सं०-291/2018 धारा-323, 504, 506 IPC थाना छपिया जनपद गोण्डा (उ०प्र०) ।

9- मु०अ०सं०-159/2015 धारा-352, 379, 420, 467, 468 IPC थाना खोडारे जनपद गोण्डा (उ०प्र०) ।

10- मु०अ०सं०-002/2021 धारा-380, 419, 420 IPC व 66-D IT Act थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा (उ०प्र०) ।

11- मु०अ०सं०-106/2009 धारा-307 IPC थाना छावनी जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया अजय कुमार यादव जनपद बस्ती ।

2- उ0नि0 हरेलाल, उ0नि0 कान्ति कुमार पाण्डेय थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।

3- हे0कां0 रामनजर, हे0 कां0 सुरेश यादव, कां0 जयेश खरवार, कां0नितेश यादव व कां0 आतिश गुप्ता थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।